राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

रिव्यू याचिका संख्याः— 28 / 2024

अंतर्गत

अपील संख्या :—1201 / 2024

मदन मोहन शर्मा

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 23.04.2025

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री हषवर्धन नन्दवाना एवं श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. अपीलार्थी द्वारा यह रिव्यू याचिका प्रस्तुत कर अधिकरण द्वारा अपील संख्या—1201 / 2024 मदन मोहन शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 03.07.2024 को रिव्यू किये जाने की प्रार्थना की गयी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण तरीके से पारित किया गया है। क्योंकि अपीलार्थी द्वारा अपील में उठाये गये आधारों पर गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए अपील का निस्तारण किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी ने पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या—1418 / 2024 प्रस्तुत की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 12.02.2024 पारित कर अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में अपील प्रस्तुत करने के लिये शिथिलता दी थी एवं इस अधिकरण को यह आदेश दिया था कि अपीलार्थी की अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाए, जिस पर अपीलार्थी ने अपील संख्या—1201 / 2024 इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की थी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अधिकरण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं की

गयी है और अपीलार्थी की अपील का निस्तारण गुणावगुण पर नहीं किया गया है।

2. हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत रिव्यू याचिका पर विचार किया।

3. हम पाते हैं कि अपील का निस्तारण करते हुए अधिकरण ने यह माना है कि प्रत्यर्थी विभाग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि अपीलार्थी द्वारा मेडिकल ईलाज में पुर्नभरण हेतु जो शेष बिलों के भुगतान की मांग की गयी थी, उसका भुगतान प्रत्यर्थी विभाग द्वारा क्यों नहीं किया गया। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए इस अधिकरण ने प्रत्यर्थी विभाग को शेष बकाया बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में आदेश पारित करने के निर्देश दिये थे। अधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को शेष बिलों के भुगतान करने के लिये आदेश दिये गये हैं, तो इस प्रकार अपीलार्थी की अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया गया है। ऐसे में हम पाते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा शेष बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में विचार किया जाना लम्बित है। हम पाते है कि अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया गया है। यदि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी के शेष मेडिकल बिलों का भुगतान किये जाने की प्रार्थना पर विचार कर आदेश पारित कर खारिज करता है तो अपीलार्थी नये सिरे से अपील प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है।

4. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम रिव्यू याचिका में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप यह रिव्यू याचिका खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष